



रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/सीएमएसआरयू/ सा./ पीआरओपी और एपीपीआर / पीओ एक्स./

2022/211 दिनांक 04 फरवरी 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीस्टरल अनुसूची 'ए' कंपनी, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के अंदर स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) में अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:

1. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:-

तालिका 1

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (यांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री।	अनिवार्य: योग्यता प्राप्त करने के बाद, निम्नसूचित में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव हो : <ul style="list-style-type: none">पोत निर्माण कंपनी यापोत मरम्मत कंपनी यासमुद्री संबंधी कंपनी यापत्तन याइंजीनियरिंग कंपनी यासरकारी कंपनी या थापना याअर्ध-सरकारी कंपनी या थापना वांछनीय: कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव।
2.	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (विद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री।	अनिवार्य: योग्यता प्राप्त करने के बाद, निम्नसूचित में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव हो : <ul style="list-style-type: none">पोत निर्माण कंपनी यापोत मरम्मत कंपनी यासमुद्री संबंधी कंपनी यापत्तन याइंजीनियरिंग कंपनी यासरकारी कंपनी या थापना याअर्ध-सरकारी कंपनी या थापना वांछनीय:



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

			कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव ।
4.	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्यूनिकेशन्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री।	अनिवार्य: योग्यता प्राप्त करने के बाद, निम्नसूचित में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव हो : <ul style="list-style-type: none">• पोत निर्माण कंपनी या• पोत मरम्मत कंपनी या• समुद्री संबंधी कंपनी या• पत्तन या• इंजीनियरिंग कंपनी या• सरकारी कंपनी या थापना या• अर्ध-सरकारी कंपनी या थापना वांछनीय: कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव ।

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ : 04 फरवरी 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 03 मार्च 2025

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:

तालिका 2

क्र.सं.	पदों का नाम	अनारक्षित	अ.ज. जा.	कुल
1	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (यांत्रिकी)	2	1	3
2	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (विद्युत)	2	1	3



3	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स)	1	0	1
कुल		5	2	7

- क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।
- ख) बेंचमार्क दिव्यांगज व्यक्तियों के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि व तैनाती का स्थान:

- क) उपर्युक्त सभी पद अस्थायी है और परियोजना आवश्यकताओं और व्यक्तिगत कार्य - निष्पादन के अधीन **अधिकतम तीन साल** की अवधि के लिए है।
- ख) **तैनाती मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के अंदर स्थित सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) / सीएसएल के अन्य यूनिटों/सीएसएल द्वारा वांछितानुसार परियोजना थलों पर होगी।** हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएमएसआरयू के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिक:

- क) सभी पदों हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3

अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति महीने)	काम के अतिरिक्त घंटों के लिए क्षतिपूर्ति (प्रति महीने)
प्रथम वर्ष	₹ 37000/-	₹ 3000/-
द्वितीय वर्ष	₹ 38000/-	
तृतीय वर्ष	₹ 40000/-	

VI. आयु :

- क) पद के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 03 मार्च 2025 को 30 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 04 मार्च 1995 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ख) अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए आरक्षित पदों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।



ग) भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। फिर भी, किसी भी स्थिति में, सभी आयु छूट लागू करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

VII. चयन की रीति :

क) चयन की विधि में **वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार** शामिल होगी। अंतिम चयन के लिए निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे :

- वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा - 50 अंक
 - वैयक्तिक साक्षात्कार - 20 अंक
 - कार्य अनुभव का आकलन करने के लिए पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण - 30 अंक
- कुल - 100 अंक**

ख) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा सीएमएसआरयू द्वारा तय किए अनुसार मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी स्थान पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएमएसआरयू के विवेकाधिकार पर होगा।

ग) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 60 मिनट अवधि की होगी जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसमें दो भाग सामान्य ज्ञान (10 अंक) और विषय संबंधी (40 अंक) शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

घ) पदों के लिए अंक सूची उम्मीदवारों द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

ङ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं:-
अनारक्षित पदों के लिए- वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के कुल अंकों का 50 %
अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए- अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए कुल अंक 40 %,
पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए - वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के कुल अंकों का 40 %

च) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अनुभव आदि) के सत्यापन के अधीन पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को आयु, शैक्षिक योग्यता और आरक्षण श्रेणियों (अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी) के प्रमाण पत्र के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

छ) प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही पावर पॉइंट



प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा।

- ज) पावर पॉइंट तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू), मुंबई पर आयोजित की जाएगी।
- झ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, अनुभव और वैयक्तिक साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर विभिन्न पदों के लिए रैंक सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होगा। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

- i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- ii) यदि आवेदक अनुसूचित जनजाति का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक *वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों के लिए लागू रियायतों या छूटों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया *एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता

- i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) किसी आवेदकों को पदों के लिए तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के



मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग) अनुभव

- i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 03 मार्च 2025 से की जाएगी।
- ii) शिक्षु अधिनियम के तहत संगत शाखा में शिक्षुता प्रशिक्षण सहित पारिश्रमिक के साथ सभी प्रकार के प्रशिक्षण को अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- iii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही चयन प्रक्रिया में लघुसूची करने हेतु विचार किया जाएगा।
- iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश /प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र तुल्य करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- v) पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (वामित्व वाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र तुल्य करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश तुल्य करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र तुल्य करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र तुल्य करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र तुल्य करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii) जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध



के अंतिम वर्ष में है, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में है, वे समान पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है।

- viii) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, संबंधित कार्यों में संभाली गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रमाण के रूप में अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

घ) आवेदन शुल्क :

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 04 फरवरी 2025 से 03 मार्च 2025 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्लू यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्लू यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ड) आवेदन कैसे करें

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ → सीएमएसआरयू, मुंबई) लिंक में प्रकाशित यूजर मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – पंजीकरण और लागू पद के लिए आवेदन तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन तुत नहीं करना चाहिए। एक बार तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं, पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और दिनांक 04 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और यह सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ → सीएमएसआरयू, मुंबई) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य तरीके से जमा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।



- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगजता, अनुभव आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाण पत्र, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए तैयार हों। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र / मार्कशीट की प्रतियां, आयु, जाति, दिव्यांगजता, अनुभव आदि के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- (vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/ सीकेएसआरयू को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- (viii) वेबसाइट दिनांक 04 फरवरी 2025 से आवेदन तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 03 मार्च 2025 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**
- च) सामान्य :
- i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**



- ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
- क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
- जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;
- ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
- ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनीमूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या
- घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या
- च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो ।
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल cmsru.career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएमएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया



जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

- v) चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- vii) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- viii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएमएसआरयू, मुंबई) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएमएसआरयू, मुंबई) को बार- बार देखें।
- ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोजगार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएमएसआरयू द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) पद के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।



- xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xix) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए कृपया हमें ई-मेल helpdesk.cs19@gmail.com के माध्यम से संपर्क करें।
- xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया ईमेल cmsru.career@cochinshipyard.in और संपर्क सं. 9840012761 से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)